आकाशवाणी श्री विजयपुरम

08.08.2025 समय : 1850

- संसद ने भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तटीय नौवहन विधेयक, दो हजार पच्चीस को मंजूरी दे दी है।

- केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए युवाओं में कौशल विकास आवश्यक है।

- विद्युत विभाग ने दक्षिण अंडमान में विद्युत आपूर्ति बेहद खराब होने की वजह से जनता से सहयोग की अपील की।

- आस्टिनाबाद में राजस्व अधिकारियों ने भूमि राजस्व नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया।

<><><><><><><>

संसद ने भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तटीय नौवहन विधेयक, दो हजार पच्चीस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "तटीय नौवहन विधेयक, दो हजार पच्चीस के पारित होने के साथ, भारत एक निर्बाध कुशल और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। यह ऐतिहासिक सुधार हमारे समुद्र तट की अपार संभावनाओं को उजागर करेगा, आपूर्ति श्रृंखला कि सुदृढ़ता को बढ़ाएगा और विकसित भारत के हमारे सोच के अनुरूप आर्थिक विकास को गति देगा। "उन्होंने कहा कि तटीय नौवहन विधेयक, दो हजार पच्चीस का लक्ष्य दो हजार तीस तक तटीय कार्गो को दो सौ तीस मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना है। तटीय नौवहन विधेयक, तीन अप्रैल, दो हजार पच्चीस को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, इसके बाद कल को यह विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। यह ऐतिहासिक अधिनियम भारत के नौ तटीय राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में फैले ग्यारह हजार अटठानब्बे किलोमीटर लंबे रणनीतिक समुद्र तट की अपार और विशाल क्षमता को उजागर करेगा।

<><><><><><><>

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए युवाओं में कौशल विकास में निवेश आवश्यक है। वे नई दिल्ली में फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन दो हजार पच्चीस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कौशल वैश्विक रिपोर्ट और आई.टी.आई ग्रेडिंग रिपोर्ट भी जारी की। श्री चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस एक दूरदर्शी नीति है क्योंकि आज के युग में प्रौद्योगिकी और ए.आई का एकीकरण प्रचलित है।

<><><><><><><>

केंद्र सरकार ने आपातकालीन उपयोग वाली चार दवाओं और सैंतीस एंटीबायोटिक व दर्द निवारक दवाओं की अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने इन दवाओं की सीलिंग प्राइस निर्धारित की है, जो संक्रमण, हृदय रोग, सूजन, मधुमेह और विटामिन की कमी के इलाज में उपयोगी हैं। इनमें क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ,उच्च रक्तचाप और हृदय विफलता और सीने में दर्द, त्वचा कीटाणुशोधन और घावों की देखभाल जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। एन. पी.पी.ए ने कहा कि जिन दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य सेलिंग प्राइस से कम है, वे मौजूदा एम.आर. पी पर बिकेंगी। ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं की कीमतें सेलिंग प्राइस से अधिक नहीं हो सकतीं। नई कीमतें जी.एस.टी–मुक्त हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकता है। खुदरा विक्रेताओं को नई कीमतें प्रमुखता से प्रदर्शित करने और पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। गैर–अनुपालन को डी.पी.सी.ओ और आवश्यक वस्तु अधिनियम, उन्नीस सौ पचपन के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसमें ब्याज सहित अतिरिक्त वसूली शामिल होगी। यह कदम किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जो मरीजों को सस्ती और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराएगा।

<><><><><><><>

निर्वाचन आयोग ने आज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही उन खबरों का खंडन किया जिनमें निर्वाचन आयोग द्वारा रातोंरात अपनी वेबसाइट से कई राज्यों की ई–मतदाता सूची हटाने की बात की गई है। आयोग ने इन खबरों को असत्य बताते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति voters.eci.gov.in वेबसाइट पर छत्तीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी की भी मतदाता सूची डाउनलोड कर सकता है।

<><><><><><><>

विद्युत विभाग के अनुसार दक्षिण अंडमान में विद्युत आपूर्ति की स्थिति पिछले कुछ महीनों में बेहद खराब हो गई है। चाथम में पांच मेगावाट एन.वी.वी.एन पावर प्लांट को बंद किया जा रहा है ताकि उसी स्थान पर आगामी दस मेगावाट के नए पावर प्लांट की स्थापना के लिए साइट को खाली किया जा सके। कुछ ऐसे ही हालात बम्बूफ्लाट में भी हैं। ग्रिड में कुल मांग की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा देखी जा रही है। इससे दिन, शाम और रात के समय बिजली की भारी कमी हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए, चाथम में दस मेगावाट के नए हायरिंग पावर प्लांट की स्थापना हेतु संसाधन जुटाने का काम चल रहा है। इसके अलावा, सभी संभावित अस्थायी व्यवस्थाओं पर भी विचार किया जा रहा है। इनमें सभी मौजूदा हायरिंग प्लांटों से अतिरिक्त बिजली प्राप्त करना, हायरिंग पावर प्लांट के दो डी.जी सेटों की मरम्मत और पुनरुद्धार की दैनिक आधार पर कड़ी निगरानी, मौजूदा सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाना और ग्रिड पावर पर बोझ कम करने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना शामिल है। विद्युत विभाग ने सरकारी विभागों और एजेंसियों से भी अपील की है कि वे अपने स्वयं के स्टैंडबाय इंस्टॉलेशन चलाकर अपनी बिजली की ज़रूरतें पूरी करें। इससे ग्रिड पावर पर बोझ कम करने में और मदद मिलेगी। विद्युत विभाग के सभी उपभोक्ताओं और आम जनता से अनुरोध है कि वे सहयोग करें, बिजली का संरक्षण करें और ग्रिड पावर पर बोझ कम करने के लिए अपनी खपत को नियंत्रित करें।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान के जिला प्रशासन ने भूमि राजस्व विनियमों और खान एवं खनिज नियमों का उल्लंघन करते हुए मिट्टी के अवैध खनन और डंपिंग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आस्टिनाबाद गाँव में राजस्व कर्मचारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान, राजस्व अधिकारियों ने मिट्टी के खनन, परिवहन और डंपिंग से जुड़ी अनाधिकृत गतिविधियों का पता लगाया, जो बिना आवश्यक अनुमति के की जा रही थीं। उल्लंघनकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मिट्टी और खनिजों के अवैध डंपिंग, खनन या परिवहन से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष को हेल्पलाइन नंबर नौ पांच तीन एक आठ आठ आठ आठ चार चार पर दी जा सकती है। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान ज़िला प्रशासन के द्वारा एक स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना अनुमति के क्रशिंग इकाई और उत्खनन मशीन के अवैध संचालन से संबंधित एक शिकायत पर कार्रवाई की गई। प्रातरापुर गाँव में स्टोन क्रशर इकाई, पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाई गई। इस इकाई को तत्काल सील कर दिया गया और मौके पर मिले स्टोन क्रशर और उत्खनन मशीन दोनों को ज़ब्त कर लिया गया। इसके साथ ही क्रशिंग इकाई वाले ढाँचे को भी ध्वस्त कर दिया गया। आम नागिरकों से आग्रह किया जाता है कि किसी भी ऐसी अवैध गतिविधि के प्रति सचेत रहें और एक शून्य सात शून्य पर सूचना दें। जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

<><><><><><><>

नौवहन सेवा निदेशलय में मरीन इंजीनियर के पद के लिए भर्ती नियम प्रकाशित कर दिए गए हैं। सभी सम्बन्धितों की जानकारी के लिए अंडमान–निकोबार प्रशासन की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अंडमान डॉट गॉव डॉट इन पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। यदि कोई दावे या आपत्तियां हो तो हितधारक नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर निदेशक, नौवहन सेवा निदेशालय, पोर्टब्लेयर को भेज सकते हैं। तय तिथि के बाद दावे या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।